राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2990/2014

संतलाल ढाका

----याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य और अन्य

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री जी.आर. पुनिया, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री राजेश पुनिया द्वारा सहायता प्राप्त

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री राजदीप सिंह चौहान

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

06/05/2024

1. वर्ष 2014 में तत्काल याचिका दायर की गई थी, जिसमें प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की सेवाओं को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि अर्थात 13.10.1986 से निरन्तरता में रखने तथा सही वेतन निर्धारण, पेंशन तथा

अन्य सभी परिणामी लाभों का लाभ प्रदान करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की गई थी।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1 याचिकाकर्ता ने विद्वान श्रम न्यायालय के समक्ष दावे का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया कि उसे दिनांक 13.10.1986 से 30.11.1988 तक रिक्त एवं मूल पद के विरुद्ध पंचायत समिति लूणकरणसर में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था। तथापि, उसे नियमित वेतनमान प्रदान नहीं किया गया। इस मांग के कारण संबंधित प्राधिकारी नाराज हो गए, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 30.11.1988 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को अचानक सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

2.2 विद्वान न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यह माना कि याचिकाकर्ता की सेवाएं अवैध रूप से समाप्त की गई थीं तथा वह बकाया वेतन एवं लाभों के साथ पुनः नियुक्ति का हकदार है। अपने आदेश द्वारा गैर-दावेदार विकास अधिकारी पंचायत समिति लूणकरणसर एवं जिला कलेक्टर बीकानेर को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ता को 30.11.1988 से विधि के अनुसार सभी लाभों के साथ निरन्तरतापूर्वक बहाल करें।

2.3 उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी अधिकारियों ने रिट याचिका दायर कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी अधिकारियों ने दिनांक 24.12.1998 के निर्णय के अनुपालन में याचिकाकर्ता को पुनः बहाल कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता को बकाया वेतन छोड़ने के लिए कहा गया, जबकि 14.10.1986 से निर्धारण के लाभ के साथ उसकी वरिष्ठता बरकरार रखी गई। प्रतिवादियों के आश्वासन पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता ने इस आशय का हलफनामा प्रस्तुत किया।

2.4 याचिकाकर्ता ने 20.05.1999 को अपना कार्यभार संभाला। इसके बाद 19.11.1999 को पंचायती राज विभाग के निदेशक एवं विशेष सचिव ने आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को 5000-8000 के वेतनमान में निर्धारित किया। हालांकि, याचिकाकर्ता को प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान नहीं किया गया।

2.5 श्रम न्यायालय के दिनांक 24.12.1998 के निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ता प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से अपने निर्धारण का हकदार है। उसने प्रतिवादी अधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका।

3. जवाब में बचाव किया गया है:-

3.1 यह प्रस्तुत किया गया है कि एक ओर, याचिकाकर्ता ने याचिका में अपनी शिकायत उठाई है, लेकिन दूसरी ओर, वह स्वयं 20.05.1999 से ही अपने देय लाभों का दावा करने के लिए सहमत हुआ है।

3.2 याचिका खारिज किए जाने योग्य है क्योंकि याचिकाकर्ता वचनबद्धता के प्रावधानों से बंधा हुआ है। उसने वर्ष 1999 (11.05.1999) में यह वादा किया था कि यदि उसे संबंधित पद पर नियुक्त किया जाता है, तो वह अपने सभी बकाया/बकाया वेतन छोड़ देगा। याचिका देरी और देरी के कारण भी खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि कार्रवाई का कारण, यदि कोई हो, वर्तमान रिट याचिका दायर करने से बहुत पहले उत्पन्न हुआ था।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले की फाइल देखी है। अब मैं इसके कारणों को दर्ज करके अपनी राय देना शुरू करूंगा। यहाँ संशोधित संस्करण दिया गया है:

5. सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, श्रम न्यायालय के दिनांक 24.12.1998 के निर्णय को पूरी तरह से लागू न करने के मामले में प्रतिवादियों का

प्राथमिक बचाव यह है कि इसे पार्टियों की आपसी सहमति से संशोधित किया गया था, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए दिनांक 11.05.1999 के हलफनामे (अनुलग्नक-2) से स्पष्ट है।

6. तदनुसार, यह दावा किया जाता है कि श्रम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ लाभों को छोड़ने के लिए एक बार सहमति जताने के बाद, याचिकाकर्ता ने लगभग 15 साल बाद वर्ष 2014 में देरी से तत्काल रिट याचिका दायर की। इसलिए, याचिकाकर्ता को अचानक पलटवार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

7. संक्षेप में, प्रतिवादियों का तर्क है कि याचिकाकर्ता का मामला न केवल देरी से बल्कि सहमति से भी प्रभावित है। इस संबंध में, आइए हम दिनांक 11.05.1999 के हलफनामे की जांच करें, जिसका उपयोग प्रतिवादियों द्वारा अपने कार्यों का बचाव करने के लिए किया जा रहा है।

8. दलील यह है कि याचिकाकर्ता का अपना हलफनामा कवच में दरार है और इसे पेश करने के बाद उसके पास कोई बचाव नहीं बचा है। हलफनामे की जांच से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को पता था कि वह क्या छोड़ रहा है क्योंकि उसने उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि वह किसी भी परिस्थिति में कुछ अधिकारों को नहीं छोड़ेगा।

9. हलफनामे से पता चलता है कि वह पिछली सेवा के लिए वेतन के बकाया से उत्पन्न होने वाले वित्तीय लाभों को छोड़ने के लिए सहमत हो गया था, बशर्ते कि उसे तुरंत फिर से शामिल किया जाए, क्योंकि वह नौकरी से बाहर था। हलफनामे में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि वह सेवा में वरिष्ठता और निरंतरता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जो श्रम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई थी। हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद ही उसे सेवा में फिर से शामिल किया गया था, जिसे प्रतिवादियों द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया था।

10. इसलिए, विभाग द्वारा इस देरी के समय याचिकाकर्ता के खिलाफ हलफनामा दायर करना और उसे निरंतरता और वरिष्ठता के लिए उसके दावे के संबंध में प्रतिकूल स्थिति में रखना अनुचित है। रिट याचिका दायर करने में देरी के संबंध में, यह देखने में कोई संदेह नहीं है कि सही वेतन निर्धारण और पेंशन के हकदार होने आदि का दावा दिन-प्रतिदिन और महीने-दर-महीने उठने वाले निरंतर कार्रवाई के मामले हैं। इसलिए, यदि कोई देरी हुई है, तो वह पिछले कुछ वर्षों में याचिकाकर्ता को उक्त लाभ न देने के लिए प्रतिवादियों की ओर से है, जबकि उसने लगातार उनके साथ मामले का अनुसरण किया है। इस प्रकार जूता दूसरे पैर पर है। प्रतिवादी अपने स्वयं के गलत होने का फायदा उठाकर याचिकाकर्ता को केवल उनके द्वारा की गई देरी के कारण कानूनी रूप से उसके हकदार होने से वंचित नहीं कर सकते।

11. श्रम न्यायालय का निर्णय अंतिम हो गया है क्योंकि विभाग ने कभी इसका विरोध नहीं किया। इसके बजाय, इसने कर्मचारी के साथ इस शर्त पर उसे बहाल करने के लिए आपसी समझौता किया कि वह बकाया राशि से वित्तीय लाभ नहीं मांगेगा, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है।

12. परिणामस्वरूप, विभाग 11.05.1999 के हलफनामे में उल्लिखित मामूली आपसी संशोधन के अधीन, निर्णय को लागू करने और याचिकाकर्ता को बिना किसी रुकावट के सेवा में निरंतरता और तदनुसार वरिष्ठता प्रदान करने के लिए बाध्य है।

13. नियमितीकरण सहित सभी परिणामी लाभ तदनुसार प्रदान किए जाएंगे, और याचिकाकर्ता को उनके समकक्षों के बराबर लाभ मिलेगा जिन्हें नियमित किया गया था। यदि याचिकाकर्ता सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता प्रदान किए जाने के बाद पेंशन लाभ का हकदार पाया जाता है, तो उसे कानून के अनुसार वे लाभ भी प्रदान किए जाएंगे।

14. आवश्यक अभ्यास 3 महीने की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

15. तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

16. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।